[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
संख्या 09/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) संशोधन नियम, 2021 है ।

(2) ये 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में,–

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(कक) "पूंजी माल" से ऐसा माल अभिप्रेत है जिसका मूल्य निर्यातक की लेखा बहियों में पूंजीगत किया जाता है ;';

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(गक) "छुटपुट काम" से स्वर्ण, आभूषण और उसकी वस्तु और अन्य कीमती धातु और पत्थर के सिवाय, आयातकर्ता के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा ली गई छूट अधिसूचना से संगत कोई उपचार प्रक्रिया या विनिर्माण प्रक्रिया अभिप्रेत है और "छुटपुट कर्मकार" का तद्नुसार अर्थ निकाला जाएगा ।

(iii) खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा :-

'(ड.) "विनिमार्ण" से, आयातकर्ता द्वारा किसी भी रीति में कच्ची सामग्री के प्रसंस्करण या इनपुट जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न प्रकृति या लक्षण या उपयोग या नाम का नया उत्पाद सृजित हो, अभिप्रेत हो और "विनिर्माता" पद का अर्थ तद्नुसार लिया जाएगा ।

(iv) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा:-

'(च) "आउटपुट सेवा" से आयातित माल का प्रयोग करते हुए विक्रय के पश्चात् सेवा अपवर्जित करते हुए सेवा की आपूर्ति अभिप्रेत है ।'।

3. उक्त नियम में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा :-

"**4. आयातकर्ता द्वारा पूर्व सूचना दिया जाना** – आयातकर्ता, उस परिसर पर, जहां आयातित माल को माल के विनिर्माण के लिए प्रयोग हेतु या आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए रखा जाएगा, सिवाय विक्रय पश्चात् सेवा के मामले में, यथास्थिति, अधिकारितागत सीमाशुल्क उपायुक्त, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त को निम्नलिखित विवरण, अर्थात् :-

(i) आयातकर्ता और उसके छुटपुट कर्मकार का नाम और पता, यदि कोई हो ;

(ii) आयातकर्ता की विनिर्माण सुविधा में उत्पादित माल या किए गए प्रसंस्करण और/या उसका छुटपुट कार्य करने वाला, यदि कोई हो, या दोनों ;

(iii) आयातकर्ता के परिसर में माल के विनिर्माण में प्रयुक्त आयातित माल की प्रकृति और विवरण या छुटपुट कार्य करने वाला, यदि कोई हो ;

(iv) आयातकर्ता माल का प्रयोग करते हुए प्रदान की गई आटपुट सेवा की प्रकृति ।"।

के बाबत सूचना उपलब्ध कराएगा ।

4. उक्त नियम में, नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् **:-**

"6. आयातित माल की प्राप्ति के संबंध में आयातकर्ता द्वारा सूचना दिया जाना और अभिलेख रखा जाना - (1) आयातकर्ता, अधिकारितागत सीमा शुल्क प्राधिकारी को उस परिसर के संबंध में, जहां आयातित माल को विनिर्माण या छुटपुट कार्य या आउटपुट सेवा प्रदान किए जाने हेतु रखे जाने के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाएगा, माल प्राप्ति की सूचना दो दिनों के भीतर (अवकाश, यदि कोई है, को छोड़कर) प्रदान करेगा ।

(2) आयातकर्ता, उस रीति में लेखा बनाए रखेगा, जिसमें -

I. आयातित माल की मात्रा और मूल्य ;
ii. उपभोग किए जा चुके आयातित माल ;
iii. छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए माल का, छुटपुट किए गए कार्य की प्रकृति;
iv. छुटपुट कार्य के पश्चात् प्राप्त माल;
v. नियम 7 के अधीन पुन: निर्यातित माल, यदि कोई हो; और
vi. प्रवेश पत्र के अनुसार अधिशेष स्टॉक की मात्रा, स्पष्टत: उपदर्शित हो ।

और उक्त खाते को उस परिसर, जहां आयातित माल को माल के विनिर्माण के लिए या छुटपुट सेवा प्रदान किए जाने के लिए रखा जाएगा, पर अधिकारितागत, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करेगा ।

(3) आयातकर्ता उस परिसर, जहां आयातित माल को माल के विनिमार्ण या छुटपुट सेवा प्रदान किए जाने के लिए रखा जाएगा, पर अधिकारितागत, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष इन नियमों के साथ उपाबंध प्रपत्र में त्रैमासिक लेखा अग्रिम त्रैमासिक अवधि के दसवें दिवस तक प्रस्तुत करेगा ।";

5. उक्त नियम में, नियम 6 के पश्चात् निम्न नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6क. छुटपुट काम के लिए आयातित माल अनुज्ञात करने हेतु प्रक्रिया- (1) आयातकर्ता, अधिकारितागत सीमाशुल्क अधिकारी को द्वितीय प्रति के साथ संसूचना देने के पश्चात् माल विनिर्माण के आशय के लिए स्वर्ण, आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं, और अन्य कीमती धातुओं या पत्थरों के सिवाय छुटपुट काम के लिए आयातित माल भेजेगा ।

(2) आयातकर्ता निम्न ब्यौरे, अर्थात्:-

i. छुटपुट कर्मकार का नाम और पता ;

ii. विनिर्माण प्रक्रिया में आयातित माल पर किए जाने वाले छुटपुट काम की प्रकृति और विवरण ;
iii. छुटपुट कर्मकारको भेजे जाने वाले माल की मात्रा और विवरण ;

भी विनिर्दिष्ट करेगा ।

(3) अधिकारितागत सीमाशुल्क अधिकारी, संबद्ध सीमाशुल्क अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के अधीन छुटपुट कर्मकार का परिसर स्थित है, उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट माल के ब्यौरे के साथ संसूचना की प्रति अग्रप्रेषित करेगा।

(4) आयातकर्ता, छुटपुट कर्मकार के परिसर पर चालान के साथ, जिसमें माल का विवरण और मात्रा निर्दिष्ट की गई हो, माल भेजेगा ।

(5) छुटपुट कर्मकारको माल भेजने की अधिकतम अवधि उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट चालान जारी करने की तारीख से छह माह होगी ।"

(6) यदि आयातकर्ता यह सिद्ध करने में असमर्थ है कि छुटपुट काम के लिए भेजा गया माल उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट छुटपुट काम के ब्यौरों के अनुसार प्रयोग में लाया गया है, तब अधिकारितगत सीमाशुल्क अधिकारी नियम 8 और नियम 8क के अधीन आयातकर्ता के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

(7) छुटपुट कर्मकार,-

i. माल की प्राप्ति, उसके विनिर्माण की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कचरे का, यदि कोई है, लेखा तैयार करेगा ।

ii. अधिकारितागत सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष, जब कभी उक्त अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, लेखा ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ;

iii. छुटपुट काम की समाप्ति के पश्चात् आयातकर्ता को या अन्य छुटपुट कर्मकार को आयातकर्ता द्वारा यथानिदेशित चालान या मुख्य विनिर्माता द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित चालान के अधीन शेष प्रक्रिया, यदि कोई है, करने के लिए भेजेगा ।

6. उक्त नियम में, नियम 7 में, उपनियम (2) के पश्चात्, निम्न उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) आयातकर्ता, उस परिसर पर अधिकारिता रखने वाले अधिकारितागत, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त, जहां आयातित माल विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए रखा जाएगा, पूंजीगत आयातित माल की निकासी विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ उपयोग में लाने के पश्चात्, उस शुल्क का संदाय करने पर और आयात के समय ब्याज के साथ अधिनियम की धारा 28कक के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा नियत दर पर पहले से संदाय किए गए शुल्क, यदि कोई है, के अंतर के बराबर होगा नीचे विनिर्दिष्ट रीति में अनुज्ञात अवक्षयण मूल्य पर, करेगा, अर्थात् :-

(i) पहले वर्ष में प्रत्येक त्रैमासिक के लिए @ 4%

(ii) दूसरे वर्ष में प्रत्येक त्रैमासिक के लिए @ 3%

(iii) तीसरे वर्ष में प्रत्येक त्रैमासिक के लिए @ 3%

(iv) चौथे और पांचवे वर्ष में प्रत्येक त्रैमासिक के लिए @ 2.5%

(v) और इसके पश्चात् प्रत्येक त्रैमासिक के लिए @ 2%

स्पष्टीकरण- (1) किसी त्रैमासिक के किसी भाग के लिए अवक्षयण दर की गणना के प्रयोजनार्थ संपूर्ण त्रैमासिक माना जाएगा ।

(2) ऐसे अवक्षयण के लिए कोई भी अधिकतम सीमा नहीं होगी ।
(3) अवक्षयण उस तारीख से अनुज्ञात किया जाएगा, जिस तारीख से आयातित पूंजीगत माल की निकासी की तारीख तक उसका उपयोग अपवाद अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ किया गया है"

7. उक्त नियम में, नियम 8 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और नियम 8 के उस प्रकार संख्यांकित किए जाने के पश्चात् निम्न उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) आयातकर्ता छुटपुट कार्य के लिए आयातित माल के हटाने और उसके प्रसंस्करण से संबंधित उन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी बात के होते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि उक्त माल का उपयोग अपवाद अधिसूचना में उपबंधित प्रयोजनों के अनुसरण में किया गया है और ऐसा करने में असफल होने की दशा में, उस परिसर पर अधिकारिता रखने वाले अधिकारितागत, यथास्थिति, सीमाशुल्क उपायुक्त, या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त, जहां माल के विनिर्माण के लिए या आउटपुट सेवा देने के लिए आयातित माल रखा जाएगा, इन नियमों के अधीन ऐसी अन्य किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसे इस अधिनियम, नियमों, विनियमों या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन कार्रवाई करेगा ।"।

8. उक्त नियम में, नियम 8 के पश्चात् निमनलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

> **8क. शास्ति**- आयातकर्ता या छुटपुट कर्मकार जो इन नियमों के किसी भी उपबंध का अतिक्रमण करता है या ऐसे अतिलंघन का दुष्प्रेरण करता है, ऐसी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उस अधिनियम, नियम या विनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन की जा सके, इस अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि की शास्ति के लिए जिम्मेदार होगा ।

9. उक्त नियम में, प्ररूप के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप

[नियम 6(3) देखें]

त्रैमासिक विवरण

-----को समाप्त होने वाली त्रैमासिक अवधि के लिए विवरण

क्र.सं.	प्रवेश पत्र की संख्या और तारीख	छूट की दर पर आयातित माल का विवरण	त्रैमासिक अवधि के प्रथम दिवस पर आरंभिक अतिशेश	त्रमासिक अवधि के दौरान आयातित/उपभोग किए गए/ पुन: निर्यात किए गए/निकासी किए गए माल का विवरण										शुल्क की छूट की दर पर माल को उपाप्त किए जाने के विनिर्दिष्ट प्रयोजन		त्रैमासिक अवधि के दौरान माल/उपलब्ध कराई गई आउटपुटसेवा	क्या माल विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग किया गया या नहीं और निर्यात की स्थिति में कर बीजक/पोत परिवहन पत्र के विवरण के साथ आयातित मात्रा को विनिर्दिष्ट करें"
				प्राप्त माल का मूल्य	प्राप्त माल की मात्रा	स्तंभ (4) और (6) का योग	आशयित प्रयोजन के लिए उपभोग की मात्रा	चालान सं. द्वारा छुटपुट कर्मकार को भेजी गई मात्रा	आशयित अवधि के लिए छुटपुट कार्य के दौरान उपभोग की मात्रा	छुटपुट कार्य करने वाले से वापस मात्रा मात्रा(चालान सं. द्वारा)	पुनर्निर्यात की मात्रा	घरेलू बाजार में भेजी गई मात्रा	त्रैमासिक अवधि के अंतिम दिवस पर अंतिम अधिशेष		विवरण	मात्रा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

(अनंत राधाकृष्णन)
उपसचिव, भारत सरकार

टिप्पण: ये मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 803, तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए ।